भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3969

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

भारतीय बैंकिंग अवसंरचना के लिए साइबर सुरक्षा उपाय

3969. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय बैंकिंग अवसंरचना के साइबर सुरक्षा उपायों और नीतियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण/संपरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, रिपोर्ट की गई/जांच की गई साइबर धोखाधड़ी घटनाओं और बैंकों को हुए नुकसान की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन न करने वाले बैंकों की सूची क्या है और ऐसे बैंकों के विरुद्ध राज्य-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने सभी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा विहित साइबर सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, क्लाउड और एप्लिकेशन की भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण सहित लेखापरीक्षण के लिए 'सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठनों' का एक पैनल बनाया है। वर्तमान में, लेखापरीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए सीईआरटी-इन द्वारा 200 संगठन सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनसे सरकारी और बैंकिंग सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा अपनी लेखापरीक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए अक्सर परामर्श किया जाता रहा है। जनवरी 2021 से जून 2025 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र के लिए सीईआरटी-इन सूचीबद्ध लेखापरीक्षण संगठनों द्वारा 29,751 लेखापरीक्षा किए गए।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का साइबर सुरक्षा और आईटी जोखिम समूह (सीएसआईटीई) अपने पर्यवेक्षित संस्थाओं के साइबर सुरक्षा जोखिम के संबंध में निरंतर आधार पर व्यापक ऑनसाइट और ऑफसाइट पर्यवेक्षी उपाय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने सूचित किया है कि वह साइबर घटनाओं

के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, पिछले पांच कैलेंडर वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को सूचित की गई साइबर घटनाओं की संख्या और उनके वित्तीय प्रभाव निम्नानुसार हैं:-

कैलेंडर वर्ष	साइबर घटनाओ की रिपोर्ट की गई संख्या	वित्तीय प्रभाव रु. में*
2020	36	1.5 करोड़ ₹
2021	59	6.7 करोड़ ₹
2022	98	5.8 करोड़ ₹
2023	66	4.2 करोड़ ₹
2024	82	114.77 करोड़ ₹

** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर राशि एकत्रित की जाती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की गई अनुवर्ती वसूलियों, यदि कोई हों, पर निर्भर करते हुए अंतिम वित्तीय प्रभाव कम हो सकता है।*

(ग) और (घ): भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को उनके साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 18 फरवरी, 2021 को डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निर्देश, 10 अप्रैल, 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निर्देश , 7 नवंबर 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी शासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निर्देश , आदि शामिल है। बैंकों द्वारा इन परिपत्रों/दिशानिर्देशों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है। साइबर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक की सीएसईटी टीम द्वारा ऑनसाइट और ऑफसाइट निरीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है और यदि कोई असुरक्षा पाई जाती हैं, तो उन्हें आवश्यक उपचार और अनुपालन के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

*****